

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम भब्लू वगै०

किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-08 सन्-2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-08/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरुंद में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु०रास्ता खसरा न० 225 रकबा 0.0040 है० पर गैरसायलान भब्लू पुत्र बिशन एवं राजूलाल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी उकरुंद द्वारा पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायलान उपस्थित नहीं हुआ। तब पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया परन्तु गैर सायलान ना तो न्यायालय में उपस्थिति हुआ और ना ही उसके द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.176 रूपये का 50 गुणा 9 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई०एल०आर०/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

रा० सं० 4 वर्ष 2022-23 की

रा० सं० 51 पर 9 रु०

मांग कायम की गई।


तहसीलदार

तहसील मण्डावर (दौसा)